

## कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन मध्यप्रदेश

(विधान सभा अतारकित प्रश्न क्रमांक 418 माननीय विधायक श्री लखन घनघोरिया)

परिशिष्ट -1

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)							
जिले में पंजीकृत खाद्य पेय पदार्थ निर्माता थोक, विक्रेता, व्यवसायी की संख्या	जिले में खाद्य पेय पदार्थ निर्माता थोक, विक्रेता, व्यवसायी की कुल संख्या	जिले में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा की कुल संख्या	जिले में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नवीनीकरण किये गये लायसेंस और रजिस्ट्रेशन की संख्या	लायसेंस/पंजीयन अक्वी समाप्त होने पर कारोबार करने के विरुद्ध की गई कार्यवाही।	क.	खाद्य अधिकारी का नाम	सुरक्षा सुखा	फर्म का नाम एवं पता	प्रकरण क. एवं दिनांक	न्यायालय का नाम	निर्णय
10369	1805	270	रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करने वाले अधिकारी का नाम - श्रीमति देवकी सोनवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी। नवीनीकरण किये गये रजिस्ट्रेशन की संख्या - कुल 515 लायसेंस नवीनीकरण का कार्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है।		1	देवकी सोनवानी		अरविंद कुमार गुप्ता, स्टार सिटी, जबलपुर	3045/20	CIM कोर्ट	विचारार्थीन
					2	विनोद धुर्वे		अरविंद कुमार गुप्ता, स्टार सिटी, जबलपुर	1598/20	CIM कोर्ट	विचारार्थीन
					3	अमरीश दुबे		मुनिक इंटरप्राइजेज मो. नईम, गोहलपुर	0005/बी-121/21-22	CIM कोर्ट	विचारार्थीन
					4	देवकी सोनवानी		मुनिक इंटरप्राइजेज मो. नईम, गोहलपुर	0003/बी-121/21-22	CIM कोर्ट	विचारार्थीन
					5	विनोद धुर्वे		शकील अहमद, गोहलपुर फर्म अनवर टेंट हाउस	0105/बी-121/21-22	CIM कोर्ट	विचारार्थीन
					6	माधुरी मिश्रा		प्रेम किराना स्टोर, विक्रेता दिलीप खत्री	043/बी-121/21-22	CIM कोर्ट	विचारार्थीन
					7	विनोद धुर्वे		मालती उद्योग, विक्रेता कमलेश गुप्ता	045/बी-121/21-22	CIM कोर्ट	विचारार्थीन
					8	देवकी सोनवानी		मोला डेयरी, विक्रेता अमीषक यादव, पनागर	032/बी-121/21-22	CIM कोर्ट	विचारार्थीन
					9	विनोद धुर्वे		छदीलाल गुप्ता, गढा, जबलपुर	179/बी-121/21-22	CIM कोर्ट	विचारार्थीन
					10	देवकी सोनवानी		जवाहर डेयरी, विक्रेता जवाहर अहिरवार	1333/20 17/3/2019	CIM कोर्ट	विचारार्थीन
					11	अमरीश दुबे		आदर्श नायक, नायक डेयरी, जबलपुर	143/बी-121/19-20	CIM कोर्ट	विचारार्थीन

संयुक्त नियंत्रक  
खाद्य एवं औषधि प्रशासन  
मध्यप्रदेश

[16/3/2022]

**कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन मध्यप्रदेश**

विधान सभा अतिरिक्त प्रश्न क्रमांक 418 माननीय विधायक श्री लखन घनघोरिया

परिशिष्ट-2

जप्ती/विनष्टीकरण संबंधित जानकारी वर्षवार एवं अधिकारीवार

वर्ष 2019 की जानकारी

क्र.	खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम	खाद्य सामग्री जप्ती का विवरण	जप्तशुदा कार्यवाही नमूना दिनांक	जप्तशुदा खाद्य सामग्री में की गई नमूना नमूना लेने का स्थान		चालान प्रस्तुत दिनांक एवं प्रकरण क्रमांक	करने का निर्णय	विनष्टीकरण	रिमांक
				मानसी डेयरी, मथुरा विहार जबलपुर	सी.जे.एम. न्यायालय अधिकारी 209/ब/121/19.20				
1	श्री मुकुंद झारिया	120किलो कृत्रिम घी मूल्य 25000 रु.	22.07.2019	मानसी डेयरी, मथुरा विहार जबलपुर	न्यायालय न्याय अधिकारी 209/ब/121/19.20	न्यायालय न्याय अधिकारी 209/ब/121/19.20	निरंक	निरंक	प्रकरण न्यायालय में लंबित
2	विनोद धुर्वे	200 किलो सोयाबीन तेल(अपद्रव्य) कृत्रिम घी मूल्य 34000 रु.	22.07.2019	विकेता - अरविंद गुप्ता, स्टार सिटी फेस 04, करमेता जबलपुर	सी.जे.एम. न्यायालय प्रकरण क्रमांक UNCR/8977/20-21	सी.जे.एम. न्यायालय प्रकरण क्रमांक UNCR/8977/20-21	निरंक	निरंक	प्रकरण न्यायालय में लंबित

वर्ष 2020 की जानकारी

क्र.	खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम	खाद्य सामग्री जप्ती का विवरण	जप्तशुदा कार्यवाही नमूना दिनांक	जप्तशुदा खाद्य सामग्री में की गई नमूना नमूना लेने का स्थान		चालान प्रस्तुत दिनांक एवं प्रकरण क्रमांक	करने का निर्णय	विनष्टीकरण	रिमांक
				विकेता - विष्णु गुप्ता, गंगाराम का बाड़ा बड़ा पत्थर राजी जबलपुर	07/बी-121-20-21				
1	पेनेन्द्र मेश्राम	9655 किलो कृत्रिम घी, वनस्पति, तेल मूल्य 8.56480	24.08.2020	विकेता - विष्णु गुप्ता, गंगाराम का बाड़ा बड़ा पत्थर राजी जबलपुर	07/बी-121-20-21	07/बी-121-20-21	निरंक	निरंक	-

संयुक्त नियंत्रक,  
खाद्य एवं औषधि प्रशासन  
मध्यप्रदेश

वर्ष 2021 की जानकारी

क्र.	खाद्य अधिकारी का नाम	सुरक्षा सुरक्षा	खाद्य सामग्री जल्दी का विवरण	जब्यशुदा कार्यवाही नमूना दिनांक	नमूना लेने का स्थान		यात्रा प्रस्तुत करने का दिनांक एवं प्रकरण क्रमांक	तिनष्टीकरण	रिपोर्ट
					विकेता - विष्णु गुप्ता, गंगाराम का बाड़ा बड़ा पत्थर राजड़ी जबलपुर	विकेता- संतोष केशरवानी, भारत कालोनी, मदनमहल जबलपुर			
1	विनोद धुर्वे		500 किलो कृत्रिम घी, वनस्पति, तेल मूल्य 1,35,000 रु.	22.01.2021			46/बी-121-21-22	निरंक	आरोपी एन.एस.ए. के तहत जेल में निरूद्ध
2	माधुरी मिश्रा		735 किलो कृत्रिम घी, डालड़ा वनस्पति मूल्य 1,17,200 रु.	27.02.2021			प्र.क. 121-बी/0045/21-22	निरंक	आरोपी के विरूद्ध गढ़ा थाना में एफ.आई.आर दर्ज किया गया है।

वर्ष 2022 की जानकारी

क्र.	खाद्य अधिकारी का नाम	सुरक्षा सुरक्षा	खाद्य सामग्री जल्दी का विवरण	जब्यशुदा कार्यवाही नमूना दिनांक	नमूना लेने का स्थान		चालान प्रस्तुत करने का दिनांक एवं प्रकरण क्रमांक	विनष्टीकरण	रिपोर्ट
					रामदाल इंडस्ट्रीज, पाटन बायपास, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, जबलपुर	रिपोर्ट अप्राप्त			
1	पंकज श्रीवास्तव		150 क्विंटल बटरी दाल, 150 क्विंटल मटर मूल्य 16,50,000	01.02.2022				निरंक	निरंक

संयुक्त नियंत्रक  
खाद्य एवं औषधि प्रशासन  
मध्यप्रदेश